संख्या- 67/2026/001-1167-81-4-2026

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 05 अगस्त, 2026

विषय:- उ0प्र0 प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि के अन्तर्गत वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 में उपलब्ध धनराशि पर अर्जित ब्याज को जमा कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ०प्र० के पत्र संख्या-पी-899/36-बी-8/कैम्पा/2026-27, दिनांक 25.05.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुदान संख्या-60 में उ0प्र0 प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में आगणित ब्याज की अवशेष धनराशि रू0 50.88863 लाख, वित्तीय वर्ष 2022-23 में आगणित ब्याज की धनराशि रू0 3690.15788 लाख, वित्तीय वर्ष 2023-24 में आगणित ब्याज की धनराशि रू0 3521.11633 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में आगणित ब्याज की धनराशि रू0 4850.11027 लाख सहित कुल धनराशि 12112.27311 लाख को जमा कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **प्राविधानित धनराशि रु0 12112.28 लाख की (रू० एक अरब इक्कीस करोड़ बारह लाख अट्ठाइस हजार मात्र)** वित्तीय स्वीकृति निर्गत निम्न

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्त-पुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय नियमानुसार जेम पोर्टल एवं प्रचलित नवीनतम वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय।

2- स्वीकृत धनराशि का अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ०प्र० के पत्र दिनांक 25.05.2026 में उल्लिखित कार्यमदों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

3- इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

4- योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा ।

5- योजनान्तर्गत कार्यों हेतु ई- टेण्डरिंग विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा क्रय सम्बन्धी समस्त कार्य जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार किया जाय।

6- विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

8- विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

10- विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

11- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। विभागाध्यक्ष पूर्व में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रश्नगत प्रकरण में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 13113.01 लाख के व्यय के संबंध में स्व:स्तर से सुनिश्चित हो लेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,21,12,28,000 (रुपये एक अरब इक्कीस करोड़ बारह लाख अट्ठाईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 060 **लेखा शीर्षक** 2049051050300 राज्य प्रतिकारात्मक वन रोपण के अन्तर्गत देय ब्याज **मानक मद** 32 ब्याज/लाभांश (भारित) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या **E-7-22-X-2026-27-दिनांक: 22-7-2026** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
विशेष सचिव।

संख्या- 67(1)/2026/001-1167-81-4-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), चतुर्थ तल, हाल नं0-2, आडिट भवन, टी0सी0-35, बी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र, लखनऊ।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0।
6. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 / वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
दिलीप कुमार शुक्ल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।